दैनिक
न्याय साक्षी

महत्वपूर्ण एवं खास

सोसायटी में चोरों का धावा
हजारों का सामान पार

रायगढ़। ग्राम पुसल्दा थाना छाल निवासी श्रीमती मेघा महंत उम्र 35 वर्ष पति अशोक दास महंत उम्र 42 वर्ष प्रेरणा स्व. सहायता समूह पुसल्दा की अध्यक्ष है । श्रीमती मेघा महंत द्वारा दिनांक 31.01.19 को थाना छाल में रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि शासकीय उचित मुल्य की दुकान ग्राम पुसल्दा का भवन में पानी से सोसायटी का सामग्री भीगने पर दुकान के सामान को सामुदायिक भवन पुसल्दा में रख कर वितरण करते हैं । 30-31 जनवरी की दरम्यानी रात कोई अज्ञात चोर दुकान का बंद दरवाजा को खोलकर दुकान से चावल 16 क्वि., शक्कर 5.15 क्वि., चना 11.90 क्वि. जुमला रकम 15305/रूपये को चोरी कर ले गया है । चोरी के रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध धारा 457, 380 ता.हि. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।

जनरल स्टोर में पेट्रोल रखना दुकानदार को पड़ा महंगा

रायगढ़। यातायात जागरूकता अभियान दौरान थाना प्रभारी भूपदेवपुर निरीक्षक चमन सिन्हा, सहायक उप निरीक्षक चंदन सिंह नेताम व हमराह स्टाफ शासकीय स्कूल नहरपाली मोनेट नवोदय विद्यालय, हायर सेकेण्डरी मुरा गये हुये थे। इसी दौरान ग्राम कछार में शिश कुमार निषाद उम्र 33 वर्ष तथा मकुन्दो निषाद उम्र 45 वर्ष अपने स्वंय के किराना जनरल स्टोर में अवैध रूप से असुरक्षित अवस्था में ज्वलनशील पदार्थ (पेट्रोल) रखकर बिक्री करते पाये गये जिनके विरूद्ध थाना भूपदेवपुर में धारा 289 ता.हि. की कार्यवाही किया गया है।

4 लाख का फर्जीवाडा करने वाला पकड़ाया

रायगढ़। फर्जी व कुटचरित तरीके से अन्य लोगों के दस्तावेज बनाकर तरकेला के पोस्टऑफिस से 4,05,897 रुपये ओमप्रकाश सिदार उम्र 22 वर्ष निवासी चंदरपुर के द्वारा आहरण करने का मामला दो माह पूर्व दर्ज हुआ था। आरोपी ओमप्रकाश उस समय से फरार चल रहा था। कल दोपहर मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ओमप्रकाश कबीर चौक में घूम रहा है, सूचना मिलते ही पुलिस बल ने बिना समय गंवाए कबीर चौक से आरोपी को धरदबोचा। आरोपी के खिलाफ 409, 467, 468 और 471 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय भेज दिया गया है। उक्त कार्यवाही में चौकी प्रभारी अंजना केरकेट्टा व उनकी टीम की सरहानीय भूमिका रही।

दो लोगों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु पर मिली सहायता

रायगढ़। रायगढ़ जिले में दो लोगों की सड़क दुर्घटना में असामयिक मृत्यु होने पर एसडीएम घरघोड़ा द्वारा मृतक के वारिसानों को 25-25 हजार रुपए की वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। इनमें तहसील धरमजयगढ़ के ग्राम-डोगामौहा निवासी सुकलाल राठिया की 23 अगस्त 2018 को मृत्यु होने पर उनके पिता रामकुमार को 25 हजार रुपए एवं तहसील घरघोड़ा के ग्राम कोगनारा निवासी नरेश राठिया की 26 मार्च 2018 को मृत्यु होने पर उनकी पत्नी उर्मिला राठिया को 25 हजार रुपए की वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।

जिला अस्पताल में लगेगा अब मेडिकल बोर्ड

रायगढ़। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, रायगढ़ ने जानकारी देते हुए बताया कि माह फरवरी से जिला मेडिकल बोर्ड प्रत्येक बुधवार एवं दिव्यांग मेडिकल बोर्ड प्रत्येक सोमवार को जिला चिकित्सालय रामभांठा के स्थान पर स्व. लखीराम अग्रवाल स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय रायगढ़ के नेत्र विभाग के ओपीडी हॉल में आयोजित की जाएगी।

76 हजार से अधिक बच्चों को यातायात का पालन करने किया गया जागरूक
स्कूलों में यातायात पुलिस ने चलाया वृहद अभियान

रायगढ़। पुलिस विभाग द्वारा स्कूली एवं कॉलेज के छात्र-छात्राओं को ट्रेफिक नियम की जानकारी देने के साथ-साथ बालिक होने के बाद वाहन चलाने की विशेष पहल जागरूकता के जरिए कर रहा है। इस अभियान के जरिए जिले के सभी थानों के थाना प्रभारियों ने अलग-अलग स्कूलों एवं कालेजों में जा जाकर ट्रेफिक जागरूकता की जानकारी दी जा रही है। चूंकि जिले में दुर्घटनाओं का आकडा काफी बढ़ा है। साथ ही साथ ट्रेफिक नियमों की अनदेखी के मामले भी सामने आए हैं। इसको लेकर जिले के पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार अग्रवाल ने सभी थाना प्रभारियों को यह दिशा निर्देश जारी किए थे कि स्कूली बच्चों में सबसे ज्यादा लापरवाही वाहन चलाने के प्रति सुनने को मिलती है। चूंकि उनको नाबालिग अवस्था में गाड़ी चलाने को मिलती जरूर है पर ट्रेफिक की जानकारी नही होनें से दुर्घटना का शिकार होते हैं। इतना ही नहीं कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को इसकी जानकारी हो इसलिए एक नया अभियान शुरू किया गया है। अब तक पूरे जिले में 76 हजार से भी अधिक छात्र-छात्राओं तक पुलिस की टीम पहुंची है और उन्हें अपने तरीके से ट्रेफिक नियमों की जानकारी देते हुए दुर्घटनाओं से बचने की टिप्स दी जा चुकी है। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार अग्रवाल ने आज पत्रकारों से चर्चा के दौरान इसकी जानकारी देते हुए बताया कि मात्र एक माह के भीतर 76 हजार से भी अधिक स्कूली बच्चों तथा कॉलेज के छात्र-छात्राओं तक उनकी पुलिस टीम ट्रेफिक जागरूकता को लेकर पहुंची है और आगे भी यह अभियान जारी रहेगा। उनका कहना है कि इसकी शुरूआत से ही काफी कुछ सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं।

बच्चो हेलमेट बनने की करे मार्मिक अपील

पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार अग्रवाल ने बताया कि स्कूलों में बच्चों को इस बात के लिए जागरूक किया गया कि जब उनके पालक कहीं दो पहिया वाहन में सवार होकर घर से कहीं जाने के लिए निकले तो उन्हें वे बच्चे मार्मिक अपील करे कि हेलमेट पहन कर ही वाहन चलाए।

नाबालिग छात्रा के साथ कुकर्म करने वाला जेल दाखिल

खरसिया/रायगढ़। शौच के लिए गई नाबालिग बालिका से अनाचार के बाद भाग खड़े होने वाले 20 वर्षीय युवक को पुलिस ने ग्राम भालूनारा से धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ धारा 376 ता.हि. एवं 4-6 पास्को एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया और न्यायालय में प्रस्तुत किया जहां से जमानत ना मिलने पर उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।

पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक खरसिया पुलिस चौकी के अंतर्गत ग्राम मदनपुर के स्कूल में कक्षा नौवीं में पढ़ाई कर रही।

प्रदूषण फैलाने के मामले में राइस मिलर को नोटिस जारी

रायगढ़। रायगढ़ शासकीय प्राथमिक शाला सहदेव पाली की समस्या सुनने के बाद जिला कलेक्टर ने नोटिस जारी करते हुए अधीनस्थ अधिकारियों को जल्द निराकरण के लिए आदेशित तो कर दिया परन्तु इस मामले का स्थाई हल निकाल पाने में अभी तक सफलता नही मिल पाई है। 14 जनवरी से ही अभिभावकों ने बच्चों को स्कूल भेजना बंद करा दिया क्योंकि सावित्री राइस मिल से उड़ने वाले काले धुएं से बच्चों का जीना दूभर हो गया था आंख में जलन व सांस की समस्या से जूझते बच्चों के अभिभावकों ने इस बात की शिकायत जिला कलेक्टर से की मामले की गंभीरता को समझते हुए जिला कलेक्टर ने तत्काल नोटिस जारी किया है। एसडीएम रायगढ़ भागवत जायसवाल को सावित्री राइस मिल

सहदेवपाली क्षेत्र में काले धुंए व डस्ट से परेशान है क्षेत्रवासी

प्रबंधन ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए उपयुक्त मशीन लगाने के लिए रविवार तक का समय मांगा था, जब इसकी शिकायत अनुविभागीय अधिकारी रायगढ़ से की गई थी तो वह स्वयं सहदेव पाली स्थित स्कूल व राइस मिल का स्वयं निरीक्षण किए जहां पर राइस मिल के मालिक ने इस बात को आश्वस्त किया था कि 27 तारीख तक सावित्री राइस मिल प्रबंधन अपनी ओर से पूरी व्यवस्था कर लेगा ताकि आगे भविष्य में मील से निकलने वाला काला धुआं आसपास के वातावरण को प्रदूषित ना करें परंतु आज तक सहदेवपाली की प्राथमिक शाला में कक्षा लगना प्रारंभ नहीं हो पाया है। अभिभावकों का कहना है कि पूर्व में भी सावित्री राइस मिल के द्वारा इसी प्रकार आश्वासन दिया जाता रहा है परंतु कोई स्थायी व्यवस्था नही होने से प्रदूषण होने के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है जब तक राइस मिल प्रबंधन इस काले धुंए को नियंत्रण करने की स्थाई व्यवस्था नहीं की जाएगी तब तक हम अपने बच्चों को विद्यालय में पढ़ने नहीं भेजेंगे।

रायगढ़ को प्रदूषण मुक्त बनाने फिर उठी मांग
संघर्ष मोर्चा ने पर्यावरण अधिकारी को सौंपा ज्ञापन

रायगढ़। जिला बचाओ संघर्ष मोर्चा रायगढ़ का प्रतिनिधि मंडल पर्यावरण अधिकारी से मिलकर खतरनाक बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ एवं रायगढ़ को प्रदूषण मुक्त जिला बनाने के लिए ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल में गणेश कछ्वाहा, के के एस ठाकुर, बिष्नु सेवक गुप्ता एडवोकेट, आर के शर्मा, जयप्रकाश अग्रवाल एवं गणेश मिश्रा शामिल थे।

ज्ञापन में केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय नई दिल्ली, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार नई दिल्ली, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली एव कलेक्टर रायगढ़ को दिये गए पत्रों की चर्चा करते हुए।

रायगढ़ को प्रदूषण मुक्त जिला बनाने हेतु सख्त एवं ठोस कदम उठाने व कार्य योजना बनाये जाने की मांग की गई।

जिला बचाओ संघर्ष मोर्चा ने पर्यावरण विभाग के ढीले ढवाले कार्यनीति पर नराजगी व्यक्त की। पर्यावरण अधिकारी ने पूरी गंभीरता के साथ पर्यावरण संरक्षण तथा रायगढ़ को प्रदूषण मुक्त जिला बनाने हेतु संकल्पबद्धता के साथ कार्य योजनाओं का विवरण दिया।

घुघवा में शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालन के लिए 15 फरवरी तक आवेदन आमंत्रित

रायगढ़। विकासखण्ड पुसौर के ग्राम पंचायत घुघवा में शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालन हेतु 15 फरवरी तक आवेदन आमंत्रित किया गया है। इच्छुक प्राथमिक कृषि साख समिति, स्थानीय नगरीय निकाय, वन सुरक्षा समिति, अन्य सहकारी समिति, महिला स्व-सहायता समूह आवेदन पत्र के साथ समूह का पंजीयन प्रमाण पत्र, समूह का बायलॉज, बैंक खाता की छायाप्रति, ग्राम पंचायत के प्रस्ताव अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय, रायगढ़ में जमा कर सकते है।

मेडिकल बोर्ड अब से लखीराम अग्रवाल स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय में आयोजित

रायगढ़। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, रायगढ़ ने जानकारी देते हुए बताया कि माह फरवरी 2019 से जिला मेडिकल बोर्ड प्रत्येक बुधवार एवं दिव्यांग मेडिकल बोर्ड प्रत्येक सोमवार को जिला चिकित्सालय रामभांठा के स्थान पर स्व.श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय रायगढ़ के नेत्र विभाग के ओपीडी हॉल में आयोजित की जाएगी। उक्त दिवस पर संबंधित जिला मेडिकल बोर्ड/विकलांग बोर्ड के विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी एवं कर्मचारी प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक उपस्थित होकर कार्य संपादित करेंगे।

SJU - Contact No. +91 9301915303   E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता
इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी तकुन्दे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्त, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियां की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु
- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक तौर के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU   Join SJU   Join SJU   Join SJU   Join SJU

तत्काल आवश्यकता है

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र हेतु कम्पयूटर ऑपरेटर, सर्वे करने के लिए, बंडल कार्य हेतु, एवं रिपोर्टर/संवाददाता रायगढ़ एवं जशपुर जिले के लिए तत्काल चाहिए ... संपर्क करें...

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग.
मो. नं. 9039961090

ऑफसेट प्रिंटिंग - न्यूज पेपर प्रिंटिंग

वेस्ट जर्मनी की ऑफसेट मशीन *हेडलबर्ग* से 4 कलर की सभी तरह की प्रिंटिग होती है। प्रिंटिंग जॉब हेतु सम्पर्क करें....

न्यायसाक्षी प्रिंटर्स एण्ड प्रेस
श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग. मो. नं. 9589876400

न्यायसाक्षी समाचार- पत्र की

खरसिया, सारंगढ़, पुसौर, मनार, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, पत्थलगांव लुड़ेग, कांसाबेल, कुनकुरी, जशपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में एजेंसी देना है, तत्काल संपर्क करें।

स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़, छ.ग.
संपर्क करें मो.नं. 9039961090

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480